

Singh, Shri D.N.

Subravelu, Shri

\* Tombi Singh, Shri N.

Vajpayee, Shri Atal Bihari

MR. CHAIRMAN : The result<sup>†</sup> of the division is as follows :

*Ayes* : 96; *Noes* : 38

*The motion was adopted.*

17.10 hrs.

# SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY  
AFFAIRS, AND SHIPPING AND  
TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : I  
beg to move\*\* :

“That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953, be taken into consideration.”

The Bill, as you will see, is a non-controversial piece of legislation and I trust it would be supported by all sections of the House.

As the House may be aware, the Salaries and Allowances of Officers of

Parliament Act, which came into force with effect from 1953, had fixed the salary of the Deputy Chairman and the Deputy-Speaker at Rs. 2,000 per mensem. Because of the position that they have to occupy and considering their nature of work they were given the status equivalent to that of a Minister of State. The necessary amendment had to be made in their salaries also. For one reason or another, the Bill could not be brought forward earlier. By this Bill the salary of these two officers of the Parliament is sought to be made equal to that of a Minister of State.

The Deputy Chairman and the Deputy Speaker have to meet many official obligations. So, it is also proposed to grant them a sumptuary allowance of Rs. 250 per mensem.

Since this Bill relates to officers of Parliament who preside over the two Houses of Parliament, it would be better if the Bill is adopted without any discussion.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

“That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953, be taken into consideration.”

श्री पन्नालाल ब्राह्मण (गंगानगर):  
सभापति महोदय, इस बिल के अन्दर छोटे

\* Wrongly voted for *Noes*.

† The following members also recorded their votes :

*Ayes* : Sarvashri K. Mallanna, Dharamgaj Singh, S.L. Peje, R.L. Chaturvedi, Lutfal Haque, Chandulal Chandrakar, Govind Das Richhariya, M. Ram Gopal Reddy, Bhuvarahan, Dalip Singh, N. Tombi Singh, Darbara Singh, Nathu Ram Mirdha, R.V. Swaminathan, Vayalar Ravi, Shrikishan Modi, M.C. Daga, Ambesh, Anand Prasad Dhusia and S.P. Verma.

*Noes* : Sarvashri H.M. Patel, Ram Deo Singh, Samar Guha, M. Bishma Dev and M. Kathamuthu.

\* Moved with the recommendation of the President.

[श्री पन्नालाल बारूवाल]

कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है, यह केवल अफसरों के लिए है—यह अन्याय है इस से समाजवाद नहीं आयागा ... ..

MR. CHAIRMAN : Is Shri Jyotirmoy Bosu moving his amendment ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Yes, Sir. I move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th November, 1971." (4)

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953, be referred to a Select Committee consisting of 10 members, namely :—Shri Murasoli Maran, Shyamnandan Mishre, Shri Piloo Mody, Shri Saroj Mukherjee, Shri Shibban Lal Saksena, Shri S.A. Shamim, Shri Ramavatar Shastri, Shri Kedar Nath Singh, Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Jyotirmoy Bosu with instructions to report by the 16th August, 1971." (5)

17.12 hrs.

[Shri R. D. Bhandare : *in the chair*]

This is a Bill which is intended to raise the remuneration and benefits of two persons who are holding a high position in the national forum. At a time when there is terrific economic distress, when the cost of living and unemployment are rising day by day, when we do not have enough funds to provide employment, when in the same House the peon draws a salary of Rs. 110, when an average Indian is not spending more than 36 paise a day, when we cannot spend more than one rupee per refugee for all his needs, when we need money for so many other things, when we are the people who are to decide about remuneration and things like that, I feel that this is not a Bill

which should be decided by us here in this House. It should be sent to the people outside for their verdict. So, I would request you, Sir, to put the amendment before the House for a decision so that the House accepts in principle the necessity of sending this Bill to the people for eliciting public opinion and then we can take a decision on that.

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया):

सभापति महोदय, इस बिल में आज जो देश की आवश्यकतायें हैं, पार्लियामेंट में काम करने वालों की जो आवश्यकतायें हैं, उन बातों पर ध्यान दिये वगैर इस बिल को यहां पर लाया गया है। यह बात नहीं है कि हम डिप्टी स्पीकर के प्रति कोई असम्मान प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के साथ साथ इस देश के जो साधारण लोग हैं, उन की जो आवश्यकतायें हैं, उस को दृष्टि में रखते हुए, यह बिल नाजायज बिल है इस की आवश्यकता नहीं है।

मैं साफ तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ— इस बिल को पेश करते हुए आपने कहा कि इस बिल में उन को मिनिस्टर आफ स्टेट की हैसियत में लाने की बात है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब यह बिल लाया गया है तो आप ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि पार्लियामेंट के अन्दर काम करनेवाले भी साधारण कर्मचारी हैं, उनकी अपनी आवश्यकतायें हैं, मंहगाई बढ़ती जा रही है, उनके वेतन में, उनकी सुविधाओं के लिए आप ने क्या किया है और आप ने ऐसा क्या प्रयत्न किया है कि जिस के जरिये ऐसा हो कि वास्तविक सुविधायें उन को मिल जायें। ऐसे कर्मचारी हैं जो 12—12 मील से, 10—10 मी से आते हैं. उन को साइकिल पर आना।

पड़ता है, दूसरी बहुत सी अनुविधायें हैं, वनों की कठिनाइयाँ हैं इन चीजों पर आप ने ध्यान नहीं दिया है। सब से पहले उन की कठिनाइयों को दूर किया जाय, उन के जीवन-यापन को सुधारा जाय, उन को उचित वेतन और दूसरी सुविधाएँ दी जायें।

दूसरी तरफ—आप इस बिल को लायें ताकि डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर का वेतन बढ़ा दिया जाय। इस का मतलब है कि आपने सिद्धान्त को नहीं देखा है, आज जब वेतन में इतना बड़ा अन्तर है, उस अन्तर को पाटने की दिशा में आप ने कौन सा कदम उठाया है।

आपने समाजवाद की बात कही है, आपने एलेक्शन के दमियान में एलान किया था लेकिन अब जो काम कर रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि न्यूनतम वेतनभोगी और अधिकतम वेतन, भोगी कर्मचारियों के बीच की जो खाई है उसका पाटने के बजाये उस खाई को और बढ़ाने की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। इसलिए सिद्धान्त रूप में इस बिल का बिल्कुल ही विरोध होना चाहिए और मेरा विश्वास है कि सदन इसको बिल्कुल ही रजेक्ट कर देगा। यह जरूर है कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन के प्रति जो रеспेक्ट और सम्मान है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन इस बिल में जो सिद्धान्त रखा गया है वह इन नये उद्देश्यों के खिलाफ है। ऐसी दशा में मैं इसका विरोध करता हूँ और चाहता हूँ कि वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में जो यह बिल लाया गया है इस को वापिस लिया जाय। जब इस देश में नयी तरफ़ों हो और इस संसद भवन में जो न्यून वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके वेतनों में बढ़ाव कर दी जाये तब आप दूसरों के लिए भी ऐसा बिल लायें तो वह ठीक रहेगा अन्यथा आज की

स्थिति में यह बिल्कुल नाजायज बिल है और किसी काम का नहीं है।

श्री पन्नालाल बारुवाल : समापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमने समाजवाद का नारा लगाया, आज संसद सदस्यों के वेतन भत्ते बढ़ते हैं और वे पेंशन लेने के इच्छुक हैं लेकिन अफसोस की बात है कि इस सदन में जो छोटे कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं बीस सालों से उनकी परेशानियों को जानता हूँ कि कितने बजे वे आते हैं और कितने बजे रात को उनको जाना पड़ता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बिल में छोटे कर्मचारियों को सुविधा देनी चाहिए नहीं तो यह समाजवाद का नारा थोथा और भ्रमात्मक है।

SHRI KRISHNA HALDER (Ausgram): Mr. Chairman, I oppose the Bill. At the outset I wish to say that we have nothing to say against the Deputy chairman of the Rajya Sabha; rather I have got high regard for them. But, at the same time, I wish to point out that our objection is based on principle.

When the agricultural workers in the countryside, when the workers in the industrial sector, when the employees of the Government are demanding more wages to maintain their livelihood, to neutralise the increasing cost in prices, the same Central Government, the same Congress Government is rejecting their demands and is telling that the country is facing financial crisis and the employees should not ask for more wages. The Government is refusing to take stern measures to control the increase in prices. When the employees demand more DA and wages, the Government never hesitate to send the police, CRP and the military to crush the movements of the employees. At the same time it wants to raise the salary of the Deputy Speaker and the Deputy Chairman from Rs. 2,000 to Rs. 2,250 in order to give

[Shri Krishna Halder]

them the status of a Minister of state. The Government is very much bothered about the dignity, decency and status of higher officials, but it is not bothered about the poverty-stricken employees, workers and other toiling people.

Not only that it is morally indefensible but it is also criminal to increase salaries of high ranking people who have got their hands on the lever of power, when so many of our countrymen are dying in poverty and hunger. One should also think of the refugees who are coming from Bangla Desh—who have no shelter, no food no security about the future, and many of whom are going to die of cholera.

SHRI PILOO MODY (Godhra): They are all in the Deputy-Speaker's area also.

SHRI KRISHNA HALDER: An agricultural labourer in the countryside is getting an average wage of 40 paise per day. I am not giving these figures; the National Sample Survey gives this shocking news. 28 lakhs of the Central Government employees, including employees of Parliament House, are getting less than Rs.100 every month as their basic pay. In this connection, I would like to request the hon. Minister to enhance the pay of the employees of Parliament House.

When the Central Government employees are demanding more D.A. pointing out the high increase in the price index which has crossed 225 points, the Government is telling that the price index has not crossed 225 points, and that only the Government can consider their demands. The Government is talking of accuracy when the low salaried employees are concerned. It is refusing to give them the due which it has to give. It is not bothered about that. But it is bothered about the dignity and status of Deputy-Speaker and Deputy Chairman.

The Government is talking about the notorious wage freeze when the workers, employees, are concerned. But it is will-

ing to give more salaries and allowance to the high-ranking officials.

The hon. Minister, Shri Raj Bahadur, is acting like Raja Bahadurs of Middle ages when Raja Bahadurs obliged their Ranis or queens by handsome gifts.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): सभापति महोदय, पहले तो मैं अपोजीशन को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने अपने नेचर को बनाये रखा, यानी अपोजीशन फोर दी सेक आफ अपोजीशन। चाहे कोई बात कितनी ही अच्छी क्यों न हो उस को भी अपोज करते हैं। यह एक सीधा साधा बिल है। हमारे, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की स्टेट मिनिस्टर के बराबर हैसियत है और उन की तनखाह बढ़ाने के लिए यह बिल लाया गया है। अगर इस पर लोगों को इतराज है तो मैं आनरेबिल मेम्बरान से कहूंगा कि जो रोजाना 51 रु० डी० ए० लेते हैं और 500 रु० माहवार तनखाह लेते हैं उस पर भी उन को एतराज होना चाहिये। अगर अपोजीशन के मेम्बर्स उस पर भी एतराज करते हैं तो वह अपनी अपनी तनखाह से वोलेंटरी तरीके से कटौती करवा कर रोजाना 36 पैसा लेते तो अच्छा होता।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की बात चल रही है तो रिफ्यूजीज की बात कहाँ से लायी जा रही है। इस आगस्ट हाउस के इतने बड़े अधिकारी का मुकाबला रिफ्यूजीज से कैसे किया जा रहा है? क्या हमारी अकल पर पत्थर पड़ गये हैं जो ऐसी बात करते हैं।

SHRI PILOO MODY : I object. It is very unfair to the refugees.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: अपोजीशन याने अपोज करते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऐसे भी सोशलिस्ट निकले हैं जो

बहुत जोर से बोल रहे हैं कि 20 साल से नाइंसाफी हो रही है।... ..

श्री पन्नालाल बारूपाल: मुझे इस पर एतराज नहीं है। मुझे तो आपत्ति यह है कि इन के साथ साथ कर्मचारियों को भी दिया जाय।

SHRI PILOO MODY : I like to move an amendment. Every employees of the Lok Sabha must get commensurate increase.

MR. CHAIRMAN : Mr. Piloos Modi, you must follow certain rules, certain procedures. You cannot just say that you like to move an amendment and make light of the discussion.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: अगर पार्लियामेंट के कर्मचारियों का सवाल है तो वह सवाल पूरे भारत के कर्मचारियों के साथ लगा हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों को अलग से नहीं दिया जा सकता लेकिन डिप्टी स्पीकर तो पूरे देश में एक है। इस वास्ते उन के लिए यह बिल लाया जा रहा है।

मैं इस की पुरजोर तारीफ करता हूँ और मيم्बरों से अपील करता हूँ कि वह इस को स्वीकार करें।

श्री जांबुवंत धोटे (नागपुर) : सभापति महोदय, हमारा देश एक भयंकर स्थिति से गुजर रहा है। बंगला देश का मसला हमारे देश के सामने खड़ा है। इस देश के सारे केन्द्रीय कर्मचारी, टैक्स बढ़ाने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, इसलिये मांग कर रहे हैं कि उन का महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिये। यह मांग लेकर लोग आ रहे हैं राज्य कर्मचारियों की तन्खाह और महंगाई भत्ता भी केन्द्रीय कर्मचारियों जितना होना चाहिये, यह मांग लेकर राज्यों के कर्मचारी आगे आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में

डिप्टी स्पीकर की तन्खाह बढ़ाने के लिये यह बिल आता है यह दुर्भाग्य की बात है।

जिस वक्त मध्यावधि चुनाव हुए उस के दौरान गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया, लेकिन मध्यावधि चुनाव के बाद लोगों की गरीबी हटाने के पहले डिप्टी स्पीकर की गरीबी हटाई जाय, यह एक अजीब बात है। क्या डिप्टी स्पीकर की गरीबी हटाने के लिए यह मध्यावधि चुनाव किया गया था? डिप्टी स्पीकर साहब अगर बहुत गरीब हैं और उन की गरीबी हटाने के लिए माध्यावधि चुनाव किया गया होता तो बात दूसरी थी।

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA (Khamman) : We are discussing about the salary of the Deputy-Speaker which is a canctified subject about which we should not use all kinds of language.

श्री जांबुवंत धोटे : अब सवाल यह आता है कि क्या उपाध्यक्ष बहुत ही गरीब हैं उन की हालत बहुत ही बुरी है, खस्ता हो गई है और उन की बुरी हालत को ठीक करने के लिये, उन की गरीबी को हटाने के लिये यह बिल लाया गया है?

जिस समय इस देश के कर्मचारी, खास तौर पर भारत के गरीब लोग, बहुत परेशान हैं, हालांकि अभी यहाँ गरीबी की परिभाषा होना शेष है, गरीब आदमी दाने दाने के लिए मोहताज है चपरासी अर्थात् पट्टे वाला प्यून, जिस की तन्खाह पूरी नहीं होती, जो सारी रोटी न खुद खा सकता है और न बच्चों को ही खिला सकता है, न कपड़ा ले सकता और न पहन सकता है ऐसी अवस्था में केन्द्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की तन्खाह बढ़ाने के बजाय, उन के अनाउंसेज बढ़ाने के बजाय डिप्टी स्पीकर की तन्खाह बढ़ाने के लिये बिल आया है। हो सकता है कल

[श्री जांबुवंत धोटे]

दूसरा बिल आये कि प्राइम मिनिस्टर की तनखाह बहुत कम होती है, उस को बढ़ाया जाये, परसों तीसरा बिल आये कि श्री राज बहादुर जो है, राजाओं में बहादुर, उन की तनखाह भी बढ़ाई जाये।

ऐसी अवस्था में यह जो सार्वभौम लोक सभा है उस के सामने सवाल आता है कि जब हमने गरीबी हटाने का नारा बुलन्द किया है तब जो इस देश के गरीब लोग हैं उन की गरीबी को हटाने के लिए इस हाउस को क्या करना है। चुनाव के दौरान गरीबी हटाने का नारा लगाया गया, लेकिन चुनाव होते ही चुनाव जीतते ही वह नारा बदल गया और कांग्रेस के जिम्मेदार लोग कहने लगे कि गरीबी हटाना कांग्रेस का काम नहीं है, सरकार का काम है। यह काम कांग्रेस का नहीं, सरकार का है, यह मैं कहूल करता हूँ। वही सवाल आज सरकार के सामने आया है, वही सवाल इस सदन के सामने आया है कि हम लोगों को गरीबी हटानी है उन लोगों की या डिप्टी स्पीकर की। ऐसी स्थिति में इस सदन को इस बिल के बारे में बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा, बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। यह जो बिल आया है वह न तो प्रजातान्त्रिक है न जो नारा हमने दिया था गरीबी हटाने का उस के ही अनुरूप है, न ही जो आपवासन हमने दिया है उस को ही पूरा करता है।

हमारे यहाँ एक कहावत है कि राजा दुनिया का उपभोग—शून्य स्वामी होता है। लेकिन यहाँ जो राजा बैठे हैं वह केवल उपभोग करने के लिए बैठे हैं तो यह सवाल लोगों के सामने, आम जनता के सामने, खड़ा हो जायेगा—

यदि उपभोग करने के लिए राजा यहाँ बैठे हैं, और राज बहादुर जैसे ही बिल पेश करते

हैं तो फिर लोगों का विश्वास प्रजातन्त्र से उठेगा और उनको सोचना होगा। लोगों का विश्वास प्रजातन्त्र में रखना है या नहीं, हम को देश में प्रजातन्त्र चलाना है या नहीं, यह इस सदन को सोचना होगा। आप देश को प्रजातंत्र के अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं या देश को हुक्मशाही या लश्करशाही की ओर ले जाना चाहते हैं यह सवाल आज देश के सामने है। गरीबी हटाने का आपने नारा दिया था। लेकिन यहाँ पर आप डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की गरीबी ही हटाने लगे हैं। क्या इस तरह से देश का कल्याण हो सकता है? क्या यह लोगों के साथ अन्याय करना नहीं है? अगर आप इस तरह से पेश आयेंगे तो लोग मशालें लेकर आएंगे। यह जो डेमोक्रेसी है, यह जो प्रजातंत्र है, इस को ही आप खत्म कर देंगे। आप देखेंगे कि यह सकार भी जल जाएगी और लोग इसको भी जला देंगे।

प्रजातंत्र का खयाल आप रखो। समाजवाद को मैं थोड़ी देर के लिए अलग रख देता हूँ। समाजवाद क्या है, उसका परिभाषा करने की भी जरूरत है। क्या यह समाजवाद है जो आप कर रहे हैं? क्या यह अमरीका का समाजवाद है? क्या यह ब्रिटानिया का समाजवाद है? क्या पाकिस्तान का समाजवाद है? कौन सा यह समाजवाद है? समाजवाद की परिभाषा होनी चाहिए। अगर आपको समाजवाद की स्थापना करनी है तो शास्त्रीय समाजवाद आप स्थापित करें। क्या यह ब्रिटिश शास्त्रीय समाजवाद के अनुरूप है? क्या उसकी परिभाषा पर यह खरा उतरता है? समाजवाद का नाम आप छोड़ दीजिये। लेकिन प्रजातंत्र को बचाने के लिए क्या यह बिल सहायक हो सकता है? क्या उस कसौटी पर यह खरा उतरता है? इसको आप सोचें। इसको पास करके हम आने आपको लोगों की नज़रों में

वेशर्म साबित करेंगे। इसको पास करना लोगों की राय के खिलाफ जाना है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचना है। यदि ब्रूट मैजोरिटी का सहारा ले कर इस विधेयक को मंजूर किया गया... ..

श्री एस० राम गोपाल रेड्डी: ब्रूट माइनोरिटी।

श्री जांबुवंत धोटे: मैं फिर कहता हूं कि अगर ब्रूट मैजोरिटी का सहारा लेकर इस विधेयक को मंजूर किया गया तो लोक सभा पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और यह चीज बहुत खतरनाक होगी।

मुझे प्रसन्नता हुई कि पार्टी इन पावर के कुछ माननीय सदस्यों ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलन्द की है। यह उनके दिल की आवाज है। मैं कहूंगा कि सभी को डिप्टी स्पीकर की तरफ़ाह और फंसिलिटेशन बढ़ाने का यह जो बिल है इसका विरोध करना चाहिए और डट कर विरोध करना चाहिये। सत्ताधारी दल में से कुछ बहादुर लोग उठे हैं और उन्होंने इसका विरोध किया है। मैं भी इस विधेयक का विरोध ही नहीं बल्कि कड़ा विरोध करता हूँ और गरीबी हटाओ का जिन्होंने नारा दिया है उन से अपील करता हूँ, उन से दरखवास्त करता हूँ कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें और सोचें कि क्या यह जो हमारी समाजवादी घोषणायें हैं उसके अनुरूप हैं? यदि नहीं है तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे राज बहादुर जी इसका खयाल करते हुए इसको वापिस ले लेंगे।

श्री आर० बी० बड़े (खारगोन): यह जो बिल है इसका मैं विरोध नहीं करता। जितने भी भाषण अभी तक हुए हैं उनका दृष्टिकोण रहा है वह गरीबी हटाओ और समाजवाद के सिद्धान्तों का रहा है और इसी दृष्टिकोण

से उन्होंने इसका विरोध किया है। वास्तव में देखा जाए तो जो स्टेटस है डिप्टी स्पीकर का और डिप्टी चेयरमैन का वह पार्लिमेंट का स्टेटस है और अगर उनका स्टेटस बढ़ता है तो पार्लिमेंट का स्टेटस भी बढ़ेगा। क्या इसको माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि सभी चाहते हैं कि उनका स्टेटस बढ़ना चाहिए। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आर्बजैक्ट्स एंड रीजन्स में लिखा हुआ है कि उनको मिनिस्टर आफ स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए। यदि उनका स्टेटस बढ़ाया जाता है तो किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिये।

रिफ्यूजीज के सवाल को भी उठाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक मेम्बर ने उनके लिए कितना त्याग किया है? यदि उन्होंने त्याग नहीं किया है तो उनको चाहिये था कि वे रिफ्यूजीज का सवाल न उठाते।

मैं समझता हूँ कि जो विरोध में भाषण किये गए हैं वे एक विपरीत दृष्टिकोण से किये गये हैं। अगर वे सोचते कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन का स्टेटस वही है जो मिनिस्टर आफ स्टेट का है और जो सुविधायें मिनिस्टर आफ स्टेट को मिलनी हैं वहीं इनको भी मिलनी चाहिये तो वे इसका विरोध नहीं करते। साथ ही साथ पार्लिमेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी ओर लक्ष्य नहीं किया गया है। यदि इस बिल के साथ यह भी होता कि पार्लियामेंट के जितने कर्मचारी हैं उनका पगार भी बढ़ाया जाता है तो मैं समझता हूँ कोई विरोध नहीं होता। लोगों के खयाल में यह है कि केवल डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन का पगार बढ़ाया जा रहा है, दूसरों का नहीं बढ़ाया जा रहा है। उनका भी बढ़ना चाहिये था।

[श्री आर० वी० बड़े]

1962 में लोक सभा का सदस्य था। उस वक्त एक मੈम्बर को केवल 21 रुपये दैनिक भत्ता मिलता था। अब 51 रुपये मिलते हैं हर एक पार्लियामेंट के मेम्बर को। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि हम को 51 रुपये नहीं चाहिए। पहले सदस्यों को 400 रुपये वेतन और 21 रुपये डेली एलाउंस मिलता था जब कि अब उन्हें 500 रुपये वेतन और 21 रुपये डेली एलाउंस मिलता है। इस दौरान में पार्लियामेंट के किसी कर्मचारी की पगार नहीं बढ़ी है। अब गरीबी हटाओ और समाजवाद के थोथे नारे के आधार पर इस बिल का विरोध किया जा रहा है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। डिपुटी स्पीकर और डिपुटी चेयरमैन की पगार बढ़नी चाहिए यह बिल उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए लाया गया है उन का स्टेटस बढ़ने से पार्लियामेंट और इस हाउस का स्टेटस भी बढ़ेगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना); सभापति महोदय जो बिल हमारे सामने आया है, अगर सरकार उस के बारे में सभी विरोधी दलों के नेताओं से चर्चा करके उस को लाती तो अच्छा होता। सरकार द्वारा जो टैक्स लगाये गये हैं, उन से सरकारी कर्मचारियों पर बोझ बढ़ गया है। इस लिए उन का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। इन टैक्सों के विरोध में मैंने एक प्रदर्शन में भाग लिया था। मुझे पकड़ लिया गया। मैं अभी जेल से छूट कर आ रहा हूँ आज सरकारी कर्मचारियों की तनखाह और महंगाई भत्ता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में कदम उठायेगी। जैसा कि श्री बड़े ने कहा है, पार्लियामेंट के कर्मचारियों की तनखाह बढ़नी चाहिए और देश भर के सरकारी नौकरों

का महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री मोहम्मद ताहिर (पूर्णिया) : चेयरमैन साहब, मैं समझता हूँ कि मेम्बर साहबान ने इस बिल को गलत तौर पर समझा। डिपुटी चेयरमैन और डिपुटी स्पीकर की तनखाह बढ़ाई नहीं जा रही है। बात यह है कि यह फ़ैसला कर लिया गया है कि उन का स्टेटस मिनिस्टर आफ स्टेट के बराबर होगा। फ़ैसले के बाद गवर्नमेंट के लिए यह लाजिमी है कि वह डिपुटी चेयरमैन और डिपुटी स्पीकर की तनखाह को मिनिस्टर आफ स्टेट की तनखाह के बराबर लाने के लिए उस में इजाफ़ा करे।

17.38 hrs.

[Shri Sezhiyan in the chair]

सरकार बिल्कुल सही बिल लाई है। चूंकि हमने पहले यह फ़ैसला किया है कि डिपुटी चेयरमैन और डिपुटी स्पीकर का स्टेटस मिनिस्टर आफ स्टेट के बराबर होगा, इस लिए उस फ़ैसले पर अमल करने के लिए यह बिल लाया गया है। उन की तनखाह को बढ़ाया नहीं जा रहा है।

شری محمد علی تھیر (پورنیہ) : چیئر مین صاحبزادے! میں سمجھتا ہوں کہ ممبران نے اس بیل کو غلط سمجھا ہے۔ ڈپٹی سپیکر اور ڈپٹی چیئر مین کی تنخواہ بڑھانی نہیں جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کا سٹیٹس منسٹر آف اسٹیٹ کے برابر ہوگا۔ فیصلے کے بعد گورنمنٹ کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ ڈپٹی سپیکر اور ڈپٹی چیئر مین کی تنخواہ کو منسٹر آف اسٹیٹ کی تنخواہ کے برابر لانے کے لئے اس میں اضافہ کریں۔

(Shri Sezhiyan in the chair)

سرکار! میں سمجھتا ہوں کہ ممبران نے اس بیل کو غلط سمجھا ہے۔ ڈپٹی سپیکر اور ڈپٹی چیئر مین کی تنخواہ بڑھانی نہیں جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کا سٹیٹس منسٹر آف اسٹیٹ کے برابر ہوگا۔ فیصلے کے بعد گورنمنٹ کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ ڈپٹی سپیکر اور ڈپٹی چیئر مین کی تنخواہ کو منسٹر آف اسٹیٹ کی تنخواہ کے برابر لانے کے لئے اس میں اضافہ کریں۔



**SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) :** My hon. friend Shri K.M. Madhukar, the speaker from my group, has already opposed the Bill. I am opposing this Bill on principle. I have no quarrel with Shri Bade when he says that the status of the Deputy-Speaker and Deputy Chairman should be raised so that the stature of Parliament is raised. I would only request Shri Raj Bahadur to refer this entire question to the Pay Commission. After all, the Pay Commission is a very high-powered commission. It is only when the cost of living index goes beyond 228 that their salaries could be raised.

I want that these two aspects should be borne in mind. Firstly; nothing should be done unless the figure touched 228. When it reaches 228, the Central Government employees will get their dearness allowance and the Deputy-Speaker and Deputy Chairman will get their salaries too. I would like this question to be referred to the Pay Commission, for another reason also. Other wise, there will be a feeling in the country that each Member is anxious to pass legislation for the betterment of his salary and the salary of the Deputy-Speaker and others. When the Pay Commission is sitting, I would submit that nothing should be done unilaterally. First, this matter should be referred to the Pay Commission. After all, the Pay Commission is going to submit its report, we are told, in 1972. Heavens are not going to fall if this Bill is not passed today. We shall give more status without salary to the Members and to the Deputy-Speaker and Deputy Chairman till then. But the matter should be referred to the Pay Commission.

**SHRI A. P. SHARMA (Buxar) :** I rise to support this Bill. I entirely disagree with the previous speaker who said that this question should be dealt with in the particular manner he has suggested.

**SHRI S.M. BANERJEE :** Pay Commission.

**SHRI A. P. SHARMA :** Definitely not.

Because this is a matter for the House to decide. I am glad the Bill has come and I support it.

At the same time, I agree with the other suggestion made by some hon. members, Shri Bade and many others, that the question of the employees of Parliament should also have been considered. As far as I know, the pay and allowances of the employees of the Parliament are not governed by the recommendations of the Pay Commission, neither the First nor the Second, although in matters of DA they are paid at par with other Central Government employees. Their service conditions are also different. Therefore, I would have been very happy if the hon. Minister of Parliamentary Affairs had also brought a similar Bill revising the pay scales of the employees of the Parliament Secretariat. I suggest that along with this Bill, if it is possible, this should be considered.

I support the Bill.

**श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) :** सभापति महोदय, मेरा इस बिल के सम्बन्ध में एक अमेंडमेंट है और मैं अपने उस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूँ। मेरा एक और अमेंडमेंट था जिस के ऊपर राष्ट्रपति जी ने अपनी स्वीकृति नहीं दी। उस में मेरा यह कहना था कि स्पीकर का और चेयरमैन का एक स्टेपस है, इन की तनखाह बढ़ाई जाय। चेयरमैन का इसलिए मैंने कहा था कि चेयरमैन वाइस प्रेसीडेंट होते हैं और जब प्रेसीडेंट नहीं रहते हैं तो वाइस-प्रेसीडेंट उन की जगह रहते हैं इसलिए उन का दर्जा बढ़ा है। इसी तरह से अपने लोक सभा के स्पीकर का भी दर्जा ऊंचा है। लेकिन उस को राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति नहीं दी। अब इस में सवाल यह है कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को एक दर्जा दे

**[श्री विभूति मिश्र]**

रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 523 मेम्बर हैं और वहाँ 238 मेम्बर हैं और जो मुझको आँकड़े मिले हैं उन आँकड़ों के अनुसार राज्य सभा बैठी 1969 में 143 दिन और हमारा हाउस बैठा 1969 में 168 दिन। 1970 में राज्यसभा बैठी 154 दिन और हमारा हाउस बैठा 170 दिन। हाउस में 523 मेम्बर हैं और वहाँ 238 मेम्बर हैं। इस में कुछ वैरी किया है, एकाध इधर उधर। अब आप बताइए कि जो 523 मेम्बर का काम करे और 238 मेम्बर का काम करे, दोनों का स्टेटस बराबर, दोनों की तनखाह बराबर यह कैसे उचित हो सकता है? इस के ऊपर जरा ख्याल करना चाहिए। राजबहादुर जी यह बिल लाए, मैं उन से कहना चाहता हूँ, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, धर्मचक्र प्रवर्तनाय, उस को ख्याल में रख कर हम ने विधान की शपथ ली कि सामाजिक न्याय करेंगे, क्या यही सामाजिक न्याय है कि जो हाउस 11 बजे से 5 बजे तक बैठे और जो 11 से लेकर 6, साढ़े छः तक बैठे, जिसका सैटरडे काट दिया जाय, दोनों को बराबर एक समान स्तर पर रखा जाय और जो आदमी यहाँ का काम करे और जो वहाँ का काम करे दोनों का दर्जा बराबर का दिया जाय, दोनों की सैलरी बराबर हो? यह मेरी समझ में नहीं आता और राजबहादुर जी और इनकी कैबिनेट जिस के यह सदस्य हैं, जिन्होंने शपथ ली है कि सामाजिक न्याय करेंगे, मैं उन से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सामाजिक न्याय कर रहे हैं? यह सामाजिक न्याय नहीं कर रहे हैं, यह सामाजिक अन्याय कर रहे हैं। क्यों कि हमारे यहाँ यह जो लिफ्टिस्ट भाई कहने हैं कि जो जितना काम करे उस के अनुसार उस की मजदूरी होनी चाहिए, समान काम के लिए समान मजदूरी मांगते हैं तो इस में तो यह

बात नहीं है। मैं कोई राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ नहीं हूँ। वह भले आदमी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन को भी 250 रुपया सम्पचुअरी एलाउस मिले और उन को भी 250 रुपया सम्पचुअरी एलाउस मिले और यह सम्पचुअरी एलाउंस उन को कितने आदमियों को खिलाना पड़ता है और इन को कितनों को खिलाना पड़ता है। चेयरमैन साहब हम लोग अपने क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, हम लोगों के घरों में 2—4—10 आदमी बराबर पड़े रहते हैं, उस के लिए राजबहादुर जी कभी बिल नहीं लाये। इतना ही नहीं - ये सरकारी स्टेशनरी, सरकारी कागज़, सरकारी दफ्तर के आदमी, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उस से ही अपनी कांस्टीचूएन्सी को नर्स करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कोई चीज नहीं है, हम लोगों का जो कुछ मिलता है, उस से ही हम अपनी कांस्टीचूएन्सी को नर्स करते हैं कांस्टीचूएन्सी में जाय तो अपनी जेब से पेट्रोल का पैसा खर्च करें, अपने आदमियों को, अपने साथियों को उसी में से दक्षिणा दें। ता हम लोगों के लिए कुछ नहीं है।... .. (व्यवधान)... ये तो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूँजीपति हैं, इन में किसी को कहीं से पैसा आता है, किसी को कहीं से आता है लेकिन हम लोगों के पास तो कहीं से आता नहीं है, अपने पास से ही खर्च करना पड़ता है...

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) :**  
60 लाख रुपया कहाँ से आया ?

**श्री विभूति मिश्र :** अरे, आपको तो महारानी ग्वालियर दे देती हैं, हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आपको इन्दिरा महारानी पैसा देती हैं ... ..

श्री विभूति मिश्र : गरीब हमारे हाथ में हैं। इसलिए हमको वोट मिला और आपकी पार्टी की जमानत जप्त कराई। पांच बार उस बांस्टीचूएंगसी से चुन कर आया हूँ, आपकी पार्टी को हरा कर।

इसलिए मैं राजबहादुर जी से कहूँगा कि न्याय कीजिये, आपने जो शपथ ली है कि सामाजिक न्याय होगा, उसके अनुसार मंत्री-मंडल में निर्णय कीजिये, कि किसको कितना मिलना चाहिये, एक ही फार्मूले में राज्य सभा और लोक सभा—दोनों को मत बाँधिये। मेरा अपना विजो ख्याल तो यह है कि राज्य सभा रहनी ही नहीं चाहिए। जो हमारा संविधान बनाने वाले थे, वे सब अंग्रेजी पढ़े हुए आदमी थे, अंग्रेजों का दिमाग उन के दिमाग में घुसा हुआ था, वे लोग इंग्लैंड गये, अमरीका गये, उनको देखकर यहाँ भी हमारे सिर पर सैंकेण्ड हाउस लाद दिया, स्टेटों में भी जहाँ-तहाँ सैंकेण्ड हाउस लाद दिया मैं राज बहादुर जी से पूछना चाहता हूँ कि जितने बिल हमारे यहाँ से पास हुए, उनमें से कितनों को राज्य सभा में रिवाइज किया, कितना उनमें हेर फेर किया। चेयरमैन गाहब, जो कोई रिवीजन का काम करता है काफी देखता है और उसको दूसरा देखे, तो बहुत थोड़ा समय लगता है। जैसे कोई वकील एक मसौदा बनाता है जब दूसरा सीनियर वकील उसको देखता है तो थोड़ा बहुत हेर-फेर करके उसको मंजूर कर लेता है। जितने दिन हम यहाँ बैठते हैं, उससे थोड़े दिन आगे-पीछे वे लोग बैठते हैं।

अभी हमारा बजट आया, जनता पर टैक्स लगा, उस टैक्स का पैसा किस प्रकार से खर्च करना है, यह देखना आपका काम है। लेकिन यह न समझिये कि इस तरह से तनखाह बढ़ाते जाय और वहाँ कि तनखाह बढ़ा कर स्टेटस बढ़ा

रहे हैं। इससे स्टेटस नहीं बढ़ता है, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, डिप्टी चेयरमैन हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, इसमें स्टेटस की कोई बात नहीं है, अगर चुनाव में हार जाय तो स्टेटस धरा रह जायगा। कितने डिप्टी स्पीकरों को हरा कर हम यहाँ आते हैं, रुपये पैसे से स्टेटस नहीं होता है, गांधी जी का कोई स्टेटस नहीं था, लेकिन आज उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसलिए मैं राजबहादुर जी से कहूँगा कि न्याय करें। जनता के पैसे को जिसका जैसा काम है उसके अनुसार खर्च करें। उसके अनुसार बिल ला कर दें ... ..

श्री हुकम चन्द कछवाय : इनको मिनिस्टर बनवा दीजिये, नहीं तो खतरनाक हो जायेंगे।

श्री विभूति मिश्र : आप घबराइये नहीं, हम लोग तो वैसे ही खतरनाक हैं। इसलिए मैं राज बहादुर जी से कहूँगा कि वे इस बिल के ऊपर सोचें और इस पर जो मेरा प्रमेन्डमेंट है उसको स्वीकार कर लें। (व्यवधान)... मैं चाहूँगा कि वे इस बात को अच्छी तरह से सोचें। राज्य सभा में बूढ़े लोग जाते हैं। वहाँ पर यह समस्या रहती है कि कौन आदमी बोलें ताकि ग्यारह से पांच तक का समय फटे। दूसरी तरफ यहाँ लोक सभा में राज बहादुर जी को दिन भर तंग किया जाता है, सदस्य कहते हैं कि हमको बोलने के लिए समय दिया जाये लेकिन फिर भी यहाँ पर सदस्यों को बोलने के लिए समय नहीं मिल पाता है ... (व्यवधान) ....

MR CHAIRMAN: Please do not make any reflection on the other House.

AN HON. MEMBER: He has already made it, Sir.

MR CHAIRMAN: Please do not do so. It is not good.

श्री विभूति मिश्र : अगर मेरी बात चले तो मैं कहूंगा कि लोकसभा चुनी हुई है, इसको कांस्टीट्यूट असम्बली मानकर नया संविधान बनाया जाये। अंग्रेजों से लड़ने के लिए असम्बली में कांग्रेस गई थी। उसी से लोग चुनकर गये और कांस्टीट्यूट असम्बली का निर्माण किया गया। इन लोगों ने वर्तमान संविधान को बनाया। मैं तो चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का संविधान लोक सभा बनाये चूँकि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इसको चुना गया है। राज्य सभा की तो जरूरत नहीं है और इस हाउस के साथ न्याय मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर की तनखाह बढ़नी चाहिए लेकिन डिप्टी चेयरमैन की नहीं बढ़नी चाहिए।

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA  
Mr chairman, Sir, I regret very much...

श्री पीलू मोदी : हिन्दी में बोलिए।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं हिन्दी में जरूर बोलूंगी लेकिन जब वाजपेयी जी ने हिन्दी छोड़ दी तब मैं क्या करूँ। It is very unfortunate that we are discussing this matter as such length. I wish the hon. members had conceded the request of the hon. minister of Parliamentary Affairs and passed the Bill without discussion. This place is very sacred place and I think in this House we do not discuss the President.

SHRI PILOO MODY: How does it become sacred ?

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA:  
Have you got any objection to say that it is a *pavitra sthan*?

MR CHAIRMAN: The hon. member may address the chair and continue her speech.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA:  
In this House, we do not discuss the President.

SHRI PILOO MODY: Why not?

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA:  
Yes, it is there in the Constitution. So also, I think we should not refer to extraneous points here. This is not a very serious matter to drag the Members to bring in all sorts of discussion - socialism, communism, social justice and what not. I do not think there was any need for it, especially in regard to Shri Pillo Mody sitting there all the time and brooding over socialism. I think usually the psychology is that when you have an enemy, you always think of that enemy. So, also he is always thinking of socialism. I would not be surprised if a day comes when he becomes a socialist himself.

SHRI PILOO MODY: In my case those days are gone.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : इसको कहते हैं—  
विरोधभक्ति।

So many members have discussed it and they have given their impression. In this very House, a Bill was passed to increase the salary of members. Now, I I would like to ask all those Members who spoke about socialism and about their faith in socialism and equality, how many of them have surrendered, - including my Gandhian friend, Shri Bibhut Mishra - when they spoke about the increase of salaries on that occasion?

Some of them could have set an example by surrendering the increase in their salaries. Now the Deputy Chairman and the Deputy-Speaker will get a sum of Rs 250 more per month. Their salary is being made equal to that of a Minis-

ter of State. I think this should be given retrospective effect.

I express regret on behalf of those members who dragged the name of the Deputy-Speaker for just giving him Rs 250 to which he was entitled. I agree with labour leaders like Mr Banerjee from that side and Mr. A.P. Sharma from this side that the salary of the staff in Parliament should also be increased. I am not asking for an increase in the salary of MPs. If you want, you may reduce it. But the staff in Parliament are working under great difficulties. They have to deal with so many members and it is like walking on razor's edge for them. You do not know when you may displease them. The staff are very good and they are very prompt. Whenever some work is given, they do it very promptly. So, I think their salary should be increased.

SHRI K. DASSAPPA (Chitradurga): Sir, I am surprised why members of the opposition have taken

this matter so light-heartedly. After all, the Deputy-Speaker and Deputy Chairman are respected members of Parliament. They are non-officials working like any one of us. In the statement of objects and reasons, it is clearly said that the Deputy Chairman and Deputy Speaker were given the status of Minister Of State in 1962 itself for purposes of warrant of precedence and travelling and daily allowance. But their salary was not made equal to that of a Minister of State. Now it is being done and the sum involved is just Rs 12,000 per annum. I do not know why the opposition members are so much worried by this. As I said, the Deputy Chairman and Deputy Speaker are respected members of Parliament and they deserve all sympathy and consideration.

With these words; I support the Bill.

18.00 hrs.

*The Lok Sabha adjourned till  
Eleven of the Clock on Wednesday,  
June 16, 1971/Jyaistha 25, 1893  
(Saka).*